265

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939

No. 2625] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

विषय: काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 में संशोधन।

का.आ. 3000(अ).—टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के संकल्प के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ विचारों के आधार पर भारत सरकार ने दिशानिर्देशों को निम्न प्रकार से संशोधित करने का विनिश्चय किया है:—

1. दिशानिर्देशों के पैरा —2(I) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:

(i) इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) *'औद्योगिक सम्पदा' से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।*

(ख) *'लाइसेंस' से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिसूचित नियमों के अधीन दिया गया लाइसेंस अभिप्रेत है।*

'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का वन अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसे किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का पद विद्यमान नहीं है, में वन विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित अधिकारी भी शामिल है।

(घ) **'गोल लट्ठा'** से अपने प्राकृतिक रूप में काष्ठ का ऐसा लट्ठा अभिप्रेत है जिसका छाल के नीचे का मध्य घेरा तीस सेन्टीमीटर का या उससे अधिक हो और इसमें छाल हटाये जाने के पश्चात ऐसा गोल लट्ठा भी शामिल है जिसकी सतह की इसके परिवहन और/या भंडारण में सुविधा के प्रयोजनार्थ इसके क्रॉस सेक्शन को वर्गाकार या लगभग वर्गाकार बनाने के लिए हाथ से या किसी बैंड सॉ या अन्य किसी मशीन या उपस्कर द्वारा छिलाई की गई है।

(ङ.) **'आरा मिल'** से गोल लट्ठों को चीरे हुए काष्ठ में परिवर्तित करने के लिए किसी नियत संरचना या परिसर में स्थित संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है।

(च) **'चीरी हुई इमारती लकड़ी'** से किसी गोल लट्ठे से प्राप्त शहतीर, कड़ी, तख्ते, पट्टे और अन्य ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं।

(छ) **'राज्य स्तरीय समिति'** से राज्य सरकार द्वारा इन दिशानिर्देशों के पैरा 3(2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

(ज) **'काष्ठ आधारित उद्योग'** से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जो काष्ठ को कच्चे माल के रूप में संसाधित करता है (आरा मिल/वेनियर/प्लाइवुड या चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि जैसा अन्य प्रकार)

2. इन दिशानिर्देशों के **पैरा-3** (ज) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-

राज्य स्तरीय समिति वन विभाग के क्षेत्रीय स्कन्ध से ऐसे किसी अधिकारी को जो वन संरक्षक से नीचे के स्तर का न हो तथा सम्बद्ध राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के कृषि विभाग और राजस्व विभाग से अधिकारियों को सहयोजित कर सकती है।

3. इन दिशानिर्देशों के **पैरा-4** के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है :—

राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) :—

(i) जैसे और जब यह विनिश्चय करे, मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता का निर्धारण करेगी। एसएलसी ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों को प्रतिकूलतः प्रभावित न करे, काष्ठ के वहनीय उपयोग के लिए समुचित तंत्र की प्रकल्पना करेगी।

(ii) यदि एसएलसी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलब्ध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नामों का अनुमोदन करेगी, जिन पर नया लाइसेंस दिये जाने या विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(iii) सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभाग के पास रखी धन राशि (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) का उपयोग केवल वनीकरण के प्रयोजनार्थ किया जाए।

(iv) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए किसी अन्य मामले की जांच करेगी और समुचित अनुशंसाएं करेगी।

4. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-5** के अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

5. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-7 (ii)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा), निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में, काष्ठ आधारित उद्योगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय/संबंधित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार प्रचालन की अनुमति दी जाएगी;

या, सड़क के किनारे/रेलवे के किनारे/नहर के किनारे के वृक्षारोपणों को छोड़कर निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो।

(ख) काष्ठ आधारित उद्योग को निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी के निरपेक्ष, एक औद्योगिक संपदा अथवा एक नगरीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

6. इन दिशा निर्देशों के पैरा-8 के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

i. *किसी काष्ठ आधारित उद्योग को एसएलसी की पूर्वानुमति की प्राप्ति के बिना कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा अथवा नवीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, एसएलसी द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग को लाइसेंस के नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रभागीय वन अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है।*

ii. *निम्नलिखित उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जो घरेलू मूल के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या 30 सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड आरा या री-सॉ या चक्रीय आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा।*

- ऐसे उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जिनमें निम्नलिखित का प्रयोग होता है :

क. *चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाइवुड, वेनियर या जायज स्रोतों से प्राप्त आयातित लकड़ी*

ख. *ब्लॉक बोर्ड, एमडीएफ या जायज स्रोतों से प्राप्त इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद*

ग. *कृषि-वानिकी/कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और/या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जायज स्रोतों से प्राप्त गोल लट्ठे/इमारती लकड़ी*

तथापि, संबंधित राज्य की एसएलसी द्वारा विशिष्ट अपेक्षा वाले ऐसे उद्योगों में 30 सेंटीमीटर तक व्यास के चक्रीय आरा को संस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।

ऐसे उद्योग संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग से पंजीकृत और विनियमित होंगे, जिसके ब्यौरे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विहित किए जाएंगे।

iii *विक्रय/उत्तराधिकार इत्यादि की स्थिति में लाइसेंस का हस्तांतरण केवल एसएलसी के अनुमोदन से ही होगा।*

7. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-9 (iii)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

यदि किसी कारण से अपील में इस प्रकार पारित आदेश द्वारा कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में समुचित याचिका/आवेदन/अपील दायर कर सकता है।

8. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-10** के अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

9. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-11 (I)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:—

प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग नियमित आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव करेगा और अद्यतन करेगा।

10. दिशा-निर्देशों की **अनुसूची** का लोप किया जाता है।

[फा. सं. 3-3/2015-एसयू (खंड IV)]

सौमित्र दासगुप्ता, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th September, 2017

Subject: Amendment in Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016.

S.O. 3000(E).—In compliance of directions contained in the order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India vide Resolution dated 11th November, 2016 had issued Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines,

2016. Based on the comments/observations received from various stakeholders, including State Governments/UTs on these guidelines, the Government of India has decided to amend the guidelines as under:—

1. The entries under Para–2 (i) of the Guidelines are substituted with the following:

(i) In these guidelines, unless the context otherwise requires:—

(a) ***'Industrial Estate'*** *means areas notified by the State Government or Union Territory Administration for establishment of wood based industries.*

(b) ***'License'*** *means a license granted under the rules notified by a State/UT in pursuance of these guidelines.*

(c) ***'Principal Chief Conservator of Forests'*** *means a Forest officer of the rank of Principal Chief Conservator of Forests in a State/UT and it also includes an officer designated as Head of Forest Department in a State/UT where no post in the rank of Principal Chief Conservator of Forests exists.*

(d) ***'Round log'*** *means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it includes such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near-square for the purpose of ease in its transportation and/or storage.*

(e) ***'Saw Mill'***, *means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn timber.*

(f) ***'Sawn timber'*** *means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log.*

(g) ***'State Level Committee'*** *means a committee constituted by the State Government under para 3 (2) of these guidelines.*

(h) ***'Wood Based Industry'*** *means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood or any other form such as sandal, katha wood etc.).*

2. The entries under **Para- 3 (h)** of these guidelines are substituted with the following:—

The State Level Committee may co-opt an officer from Territorial wing of the Forest Department not below the rank of CF and officers from Department of Agriculture and Department of Revenue of the concerned State/UT.

3. The entries under **Para- 4** of these guidelines are substituted with the following:—

The State Level Committee (SLC) shall: —

i. assess the availability of timber in the state by way of appropriate study on demand and supply as and when it decides. SLC shall devise suitable mechanism for sustainable use of timber in a way that does not affect the forests of the area adversely.

ii. approve the name of wood based industries which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the SLC is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc.).

iii. ensure that the amount lying with the respective State Forest Departments (recovered from Wood Based Industries) is utilized for the purpose of afforestation only.

iv. examine and make appropriate recommendations or any other matter referred by the State Government to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The entries under **Para- 5** of these guidelines are omitted.

5. The entries under **Para-7 (ii)** of these Guidelines are substituted with the following: —

(a) In the States/UTs (other than North Eastern States), in respect of distance from the boundary of nearest notified forests or protected areas, wood based industries shall be allowed to operate as per state-specific order/approval of the Hon'ble Supreme Court/Hon'ble High Court of the concerned state/Central Empowered Committee;

Or, beyond ten kilometers of aerial distance from the boundary of nearest notified forests or protected areas, excluding roadside/railway side/canal side plantations, whichever is less.

(b) *A Wood Based Industry can be established in an Industrial Estate or a Municipal area, irrespective of the aerial distance from the boundary of nearest notified forest or protected area.*

6. The entries under **Para- 8** of the Guidelines are substituted with the following:—

i. *No license to a wood based industry shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the SLC. However, a SLC may delegate the power of renewal of license to a wood based industry to the Divisional Forest officers of the concerned Forest Divisions.*

ii. *Following industries/processing plants not using round logs of domestic origin or operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter shall not require license.*

Industries/processing plants which use:

a. *sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood, veneers or imported wood, procured from legitimate sources*

b. *block board, MDF or similar wood-based products, procured from legitimate sources*

c. *round log/timber from species declared as agro-forestry/agricultural crops and/or exempted from the purview of the felling and transit regime in the concerned state/UT, and procured from legitimate sources*

However, SLC of the concerned State may allow installation of circular saw of diameter upto 60 centimeter in such industries having specialized requirement.

Such industries shall be registered with the Forest Department of the concerned state/UT and shall be regulated, details of which are to be prescribed by the concerned state/UT.

iii. *Transfer of license on sale/succession etc shall be done only with the approval of SLC.*

7. The entries under Para-9 (iii) of the Guidelines are substituted with the following:—

If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal in the High Court having jurisdiction over the concerned State/UT.

8. The entries under **Para-10** of these Guidelines are omitted.

9. The entries under **Para-11** (i) of the Guidelines are substituted with the following:—

Each wood based industry shall maintain and regularly update records as per the formats, which may be prescribed by the concerned State/UT.

10. The **Schedule** to the Guidelines is deleted.

[F. No. 3-3/2015-SU (Vol. IV)]

SOUMITRA DASGUPTA, Inspector General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.15 11:45:44 +05'30'